

12872



27 JUL 2004
04AA 296618



पट्टागत नजूल भूमि के फ्रीहोल्ड का विलेख

नजूल भूमि पर निजी स्वामित्व प्रदान किये जान हेतु फ्रीहोल्ड के प्रमाण पत्र का यह विलेख सन् 2004 ई० के नवम्बर माह के 23 वें दिन, तदनुसार शक सम्वत् 1926 के मार्गशीर्ष मास के — वस के दूसरे दिन को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, (जिनको यहाँ आगे चल कर 'विक्रेता' कहा गया है) प्रथम पक्ष तथा (1) श्री अली जुहाद नकवी पुत्र स्व० श्री अली अमजाद नकवी (2) श्री मजहर अद्व्यास नकवी व (3) श्री अजहर अद्व्यास नकवी पुत्रगण श्री अली जुहाद नकवी (4) श्री मती निकहत

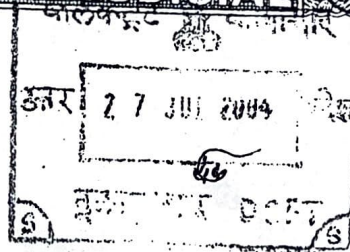
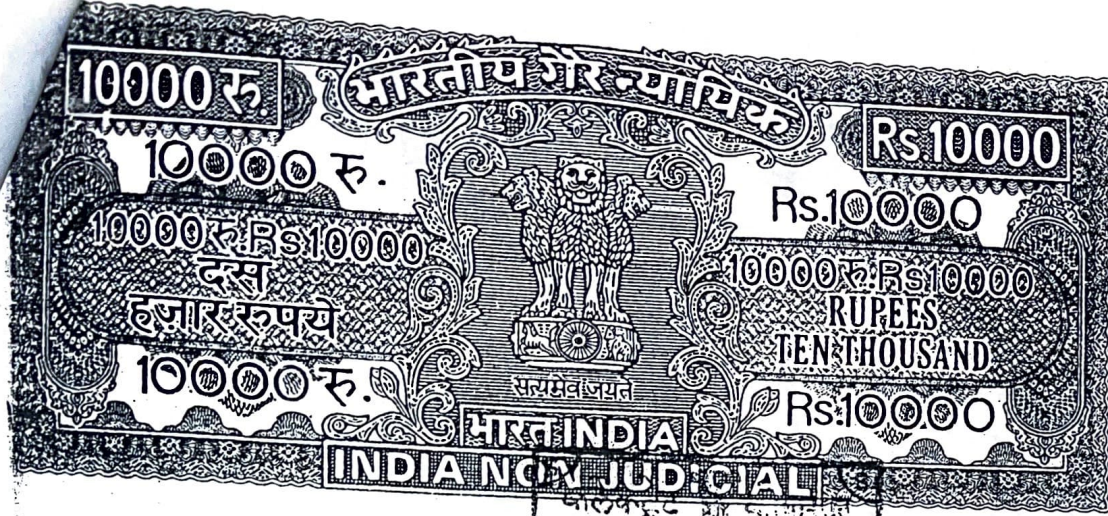
क्रेता के हस्ताक्षर
Ali Juhad N...

श्री अली जुहाद नकवी स्वयं एवं वहेसियत मुख्तारआम श्री मजहर अद्व्यास नकवी, श्री अजहर अद्व्यास नकवी श्रीमती निकहत जहारा नकवी व कु० फरहत जहारा नकवी



विक्रेता
23.11.2004
(सत्य नारायण श्रीवास्तव)
अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

नकल संख्या 68/118
तैयारी कर्ता लिपिक.....
सिलान कर्ता लिपिक.....
३० नि० प्रमाण...



15A 296519

(2)

जहरा नकवी व (5) कु० फरहत जहरा नकवी पुत्रीगण श्री अली जुहाद नकवी निवासीगण 40, सरोजनी नायडू मार्ग, डाकखाना प्रधान डाकघर, तहसील सदर जिला इलाहाबाद (जिनको यहाँ आगे चलकर "क्रेता" कहा गया है) द्वितीय पक्ष, के मध्य लिखा गया है।

चूँकि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल एवं श्री अली जुहाद नकवी पुत्र स्व० श्री अली अमजाद नकवी व श्री मजहर अब्बास नकवी व श्री अजहर अब्बास नकवी पुत्रगण श्री अली जुहाद नकवी, श्रीमती निकहत जहरा नकवी व कु० फरहत जहरा नकवी पुत्रीगण श्री अली जुहाद नकवी के मध्य निष्पादित पट्टा विलेख दिनांक 29.04.1993 ई० जो प्रति पुस्तक 1 खण्ड 294 के पृष्ठ 121 से 144 पर विलेख संख्या 2699 के रूप में सब-रजिस्ट्रार चायल, जनपद-

क्रेता के हस्ताक्षर

Mr. Juhad Navi

श्री अली जुहाद नकवी स्वयं एवं
वहैसियत मुख्तारआम श्री मजहर
अब्बास नकवी, श्री अजहर अब्बास
नकवी श्रीमती निकहत जहरा नकवी
व कु० फरहत जहरा नकवी

विक्रेता

R

(सत्य नारायण श्रीवास्तव)

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

W

नकल संख्या 687/18

तैयारी कर्ता लिपिक

मिलान कर्ता लिपिक

श्री नि० प्रथम नगरपालिका



(3)

इलाहाबाद के कार्यालय में दिनांक 26.07.1993 ई० को रजिस्टर्ड है, (जिसे आगे 'पट्टा विलेख' कहा गया है और जिसमें गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश को 'पट्टादाता' और उपरोक्त अंकित पट्टेदारों को "पट्टेदार" कहा गया है), और यह कि उक्त पट्टागत नजूल भूखण्ड संख्या 26-A, सरोजनी नायडू मार्ग, मौजा-नसीबपुर बख्तियारा, इलाहाबाद जिसका सम्पूर्ण क्षेत्रफल 1 एकड़ 868 वर्गगज अथवा 4772.15 वर्गमीटर है के पट्टे की अवधि दिनांक 10.03.1988 ई० से 30 वर्ष अर्थात् दिनांक 09.03.2018 ई० तक के लिये है और उक्त भूमि में से भूखण्ड के पश्चिमी हिस्से के नाले की भूमि का क्षेत्रफल 142.13 वर्गमीटर तथा मास्टर प्लान में म्योर रोड के चौड़ीकरण हेतु 335.55 वर्गमीटर व सरोजनी नायडू मार्ग, के चौड़ीकरण हेतु 91.97

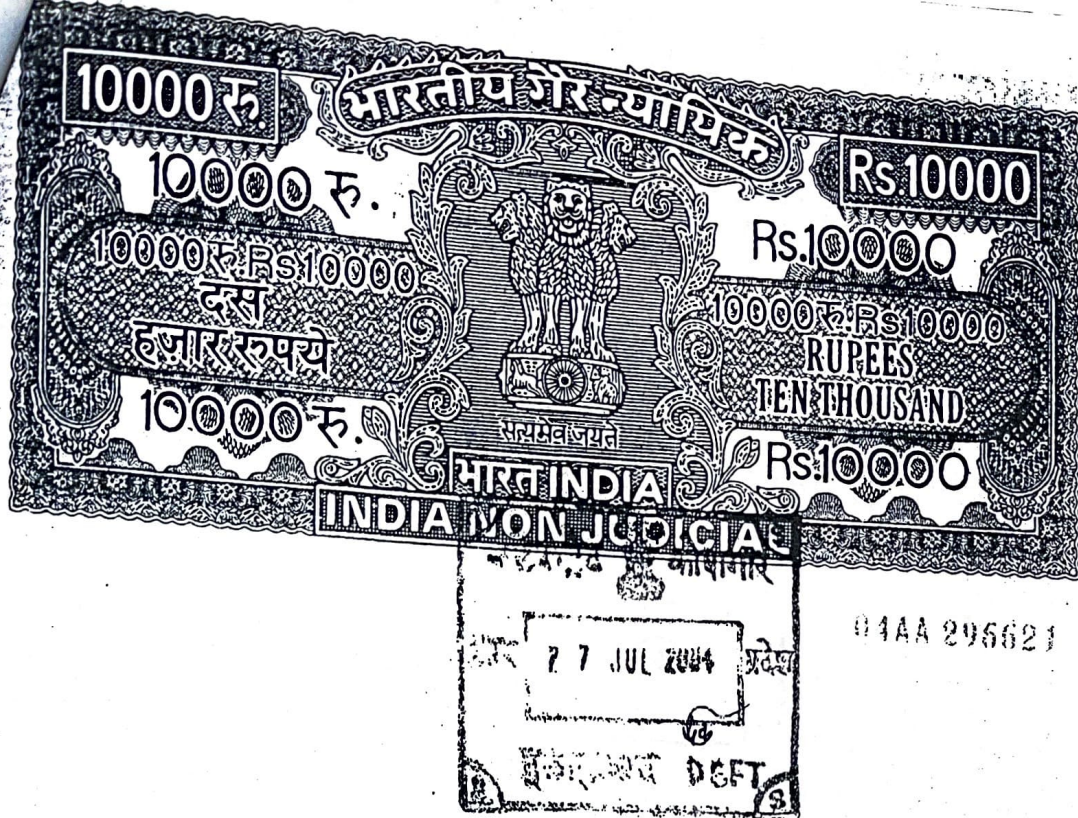
क्रेता के हस्ताक्षर

Sh. Inhai Singh
श्री अली जुहाद नकवी स्वयं एवं
बहैसियत मुख्तारआम श्री मजहर
अव्वास नकवी, श्री अजहर अव्वास
नकवी श्रीमती निकहत जहरा नकवी
व कु० फरहत जहरा नकवी

विक्रेता

(सत्य नारायण श्रीवास्तव)
अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

नकूल संख्या.....
तैयारी कर्ता लिपिक.....
मिलान कर्ता लिपिक.....
छ० नि० प्रमाण.....



(4)

वर्गमीटर भूमि कुल 569.65 वर्गमीटर भूमि जो संलग्न मानचित्र में पीले रंग से दर्शाया गया है, को काटकर शेष भूमि क्षेत्रफल 4202.80 वर्गमीटर का ही फ्रीहोल्ड किया जा रहा है, के अनुसार "क्रेता" पट्टा विलेख की अनुसूची में उल्लिखित नजूल भूखण्ड जिसे इस विलेख की अनुसूची में भी वर्णित किया गया है, के पट्टेदार हैं।

और चूँकि क्रेता ने इस विलेख की अनुसूची में वर्णित नजूल भूखण्ड जिसके कि वह पट्टेदार है, प्रदेश की नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण विषयक शासनादेश संख्या 1562/9-आ-4-92-293एन/90, दिनांक 23.5.1992, शासनादेश संख्या-3632/9- आ-4-92-293एन/90, दिनांक 2-12-92, शासनादेश संख्या- 2093/9-आ-4- 94-293एन/90, दिनांक 3-10-94,

क्रेता के हस्ताक्षर

Mr. Lohan

विक्रेता

श्री अली जुहाद नकवी स्वयं एवं
बहैसियत मुख्तारआम श्री मजहर
अब्बास नकवी, श्री अजहर अब्बास
नकवी श्रीमती निकहत जहरा नकवी
व कु० फरहत जहरा नकवी

(सत्य नसीयण श्रीवास्तव)

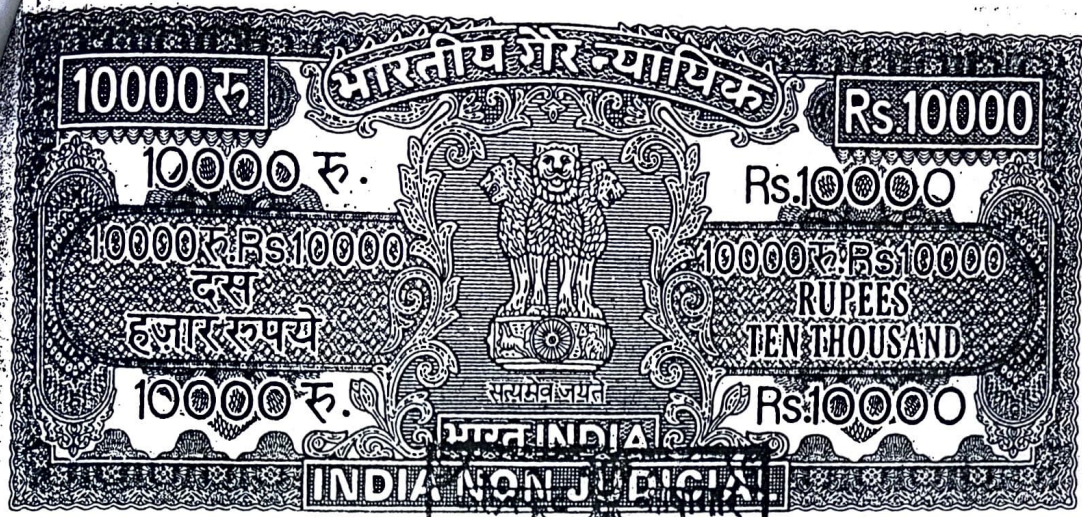
अपने जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

नकल संख्या.....

तैयारी कर्ता लिपिक.....

मिलान कर्ता लिपिक.....

२० दि०



(5)

शासनादेश संख्या-3082/9-आ-4 95-628एन/95, दिनांक 1-1-96, शासनादेश संख्या-82/9-आ-4-96-629एन/95, दिनांक 17-2-96, शासनादेश संख्या-1300/9-आ-4-96-629एन/95, (टी.सी.), दिनांक 29-8-96, शासनादेश संख्या-2029/9-आ-4-97-260 एन/97, दिनांक 26-9-97, शासनादेश संख्या-667/9-आ-4-98-691/97 (टी.सी.), दिनांक 23 अप्रैल, 1998, शासनादेश संख्या -2268/9-आ-4-98-704एन/97, दिनांक 1-12-98 एवं शासनादेश संख्या -1592/9-आ-4-99-691एन/97 टी.सी., दिनांक 20-5-99 एवं शासनादेश संख्या -2961/9-आ-4-1999 दिनांक 3-12-1999 में निर्दिष्ट निर्देशानुसार प्री-होल्ड लैण्ड घोषित करने तथा उस पर क्रेता को निजी स्वामित्व प्रदान करने हेतु

क्रेता के हस्ताक्षर

Mr. J. K. Singh
श्री. अली मुहाद नकवी स्वयं एवं
बहसियत मुख्तारआम श्री मजहर
अब्बास नकवी, श्री अजहर अब्बारा
नकवी श्रीमती निकहत जहरा नकवी
व कु० फरहत जहरा नकवी

विक्रेता

W
Z
(सत्य नारायण श्रीवास्तव)
अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

य कु० फरहत जहरा नकवी
श्री. अली मुहाद नकवी

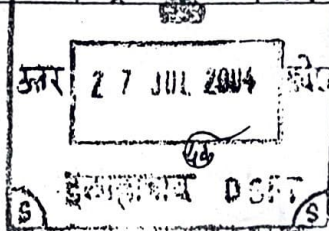
य नजूल अधिकारी
उनके द्वारा प्राधिकृत

नकद सख्या.....

सैयारी कता दिनांक.....

भिलास कता दिनांक.....

श्री. अली मुहाद नकवी



014A 296623

(6)

जिलाधिकारी, जनपद - इलाहाबाद को निर्धारित प्रारूप पर प्रार्थना पत्र दिया है।

और चूँकि नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण विषयक जारी उपर्युक्त शासनादेशों में निर्दिष्ट निर्देशानुसार तथा शासनादेश संख्या-2268/9-आ-4-98-704एन/97, दिनांक 01 दिसम्बर 1998 एवं शासनादेश संख्या 2961/9-आ-4-1999, दिनांक 03.12.1999; के अनुसार स्वमूल्यांकन की धनराशि रुपये 2,77,650/- (शब्दों में रुपये दो लाख सतहत्तर हजार छः सौपचास मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या R.K.11 दिनांक 28.01.1999 ई० द्वारा, तथा दिनांक 10.01.2001 ई० को निर्गत मांग पत्र संख्या 249/नजूल-(डी.एन.सी.)XXI-8/1590(फ्रीहोल्ड)98-99 द्वारा अपेक्षित धनराशि रुपये 4,76,542/- (शब्दों में रुपये चार लाख छिहत्तर हजार पाँच सौ बयालिस मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या 17 दिनांक 10.02.2001

क्रेता के हस्ताक्षर

M. Jha

श्री अली जुहाद नकवी स्वयं एवं
बहैसियत मुख्तारआम श्री मजहर
अब्बास नकवी, श्री अजहर अब्बास
नकवी श्रीमती निकहत ज़हरा नकवी
व कु० फरहत ज़हरा नकवी

विक्रेता

P

(सत्य नारायण श्रीवास्तव)
अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

4 जुल 2004

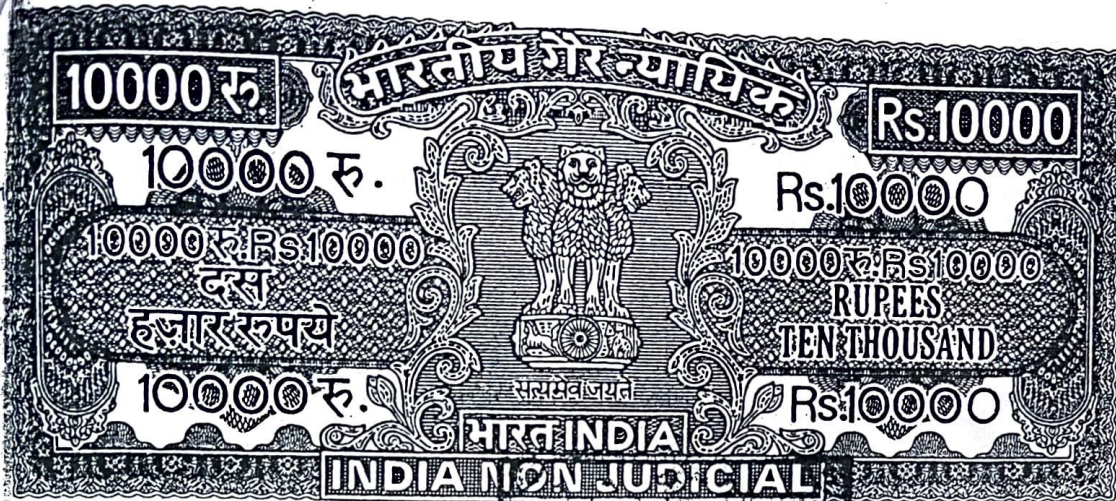
3

नकल संख्या

तैयारी करा जाय

मिलान करा जाय

30



(7)

ई० द्वारा, तथा अतिरिक्त मांगपत्र संख्या 1135/नजूल-(डी.एन.सी.)XXI-8/1590(फ्रीहोल्ड)(99-2000) दिनांक 31.05.2003 की धनराशि रुपये 1,81,158/- (शब्दों में रुपये एक लाख इक्कासी हजार एक सौ अठ्ठावन मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या 2 दिनांक 05.06.2003 ई० द्वारा, इस प्रकार सम्पूर्ण आंकलित निर्धारित मूल्य रुपये 9,35,350/- (शब्दों में रुपये नौ लाख पैंतीस हजार तीन सौ पचास मात्र) क्रेता से प्राप्त करके जिलाधिकारी, जनपद- इलाहाबाद आगे वर्णित शर्तों के अधीन इस विलेख की अनुसूची में वर्णित नजूल भूखण्ड, को निजी स्वामित्व वाला (फ्री-होल्ड) भूखण्ड घोषित करने तथा उसपर क्रेता को निजी स्वामित्व प्रदान करने हेतु एतद्द्वारा सहमत हैं।

अतः उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित

क्रेता के हस्ताक्षर

Anurag Nay

श्री अली जुहाद नकवी स्वयं एवं
बहैसियत मुख्तारआम श्री मजहर
अब्बास नकवी, श्री अजहर अब्बास
नकवी श्रीमती निकहत जहरा नकवी
व कु० फरहत जहरा नकवी

विक्रेता

b

(सत्य नारायण श्रीवास्तव)

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
सिज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

मकतल संख्या.....

तैयारी कर्ता लिपिक.....

मिलान कर्ता लिपिक.....

ई० दि० १०/०७/०४



(8)

गवर्नमेन्ट ग्रान्ट ऐक्ट (सन् 1895 ई० का ऐक्ट संख्या 15) के अधीन निष्पादित यह विलेख साक्षी है कि इस विलेख की अनुसूची में वर्णित नजूल भूखण्ड क्रेता के पक्ष में फ्रीहोल्ड (निजी स्वामित्व) घोषित करने हेतु क्रेता द्वारा विक्रेता को कुल धनराशि रुपये 9,35,350/- (शब्दों में रुपये नौ लाख पैंतीस हजार तीन सौ पचास मात्र) जनपद- इलाहाबाद स्थित राजकीय कोषागार में तपयुक्त ट्रेजरी चालान द्वारा किये गये भुगतान (जिसकी प्राप्ति विक्रेता एतद्द्वारा स्वीकार करता है), के प्रतिफलस्वरूप तथा आगे वर्णित प्रसंविदाओं और शर्तों जिनका क्रेता पालन करेगा, को ध्यान में रखकर विक्रेता एतद्द्वारा यह भूखण्ड, उसकी सीमाओं सहित, जिसका विवरण इस विलेख की अनुसूची में दिया गया है और जो स्पष्टीकरण के लिये इस विलेख से संलग्न मानचित्र में लाल रंग से प्रदर्शित किया गया है को महायोजना में विनिर्दिष्ट

क्रेता के हस्ताक्षर

Mr. Lohan Nay

श्री अली जुहाद नकवी स्वयं एवं
बहसियत मुख्तारआम श्री मजहर
अब्बास नकवी, श्री अजहर अब्बास
नकवी श्रीमती निकहत जहरा नकवी
व कु० फरहत जहरा नकवी

विक्रेता

[Signature]

(सत्य नारायण श्रीवास्तव)

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

3- 1895 1895 नकवा

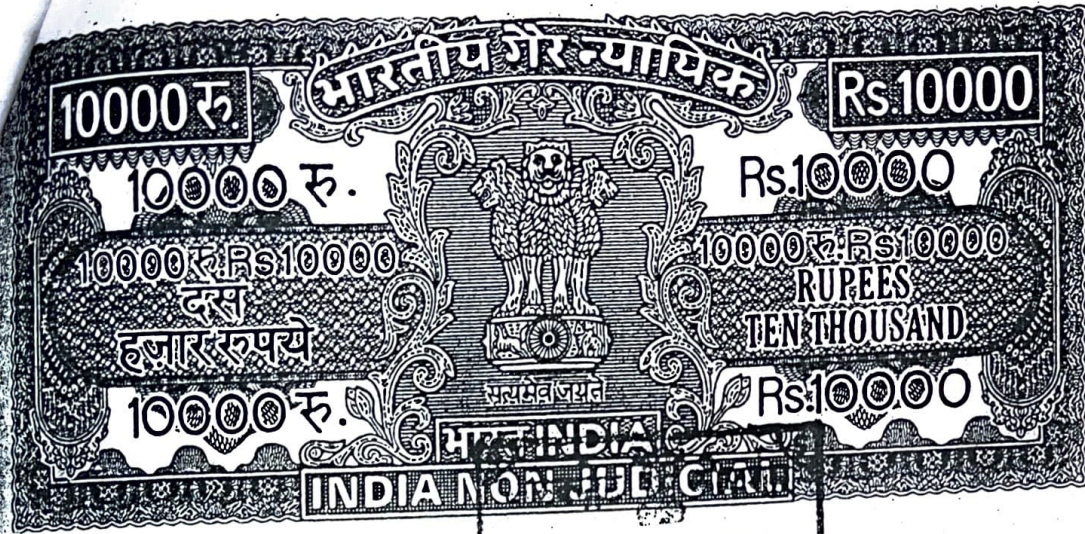
उनके द्वारा प्राधिकृत

नकला संख्या.....

तैयारी कर्ता लिपिक.....

मिलान कर्ता लिपिक.....

२० नि० प्र०



(9)

आवासीय भू-उपयोग के निमित्त फ्रीहोल्ड घोषित करते हैं और उसपर क्रेता को निजी स्वामित्व प्रदान करते हैं और क्रेता, उसके दाय्याधिकारी तथा समनुदेशिती सदा के लिये उसे अपने अधिकार में रखेंगे।

इस विलेख की अनुसूची में वर्णित भूखण्ड या उसपर निर्मित अथवा निर्माण किये जाने वाले भवन के सम्बन्ध में इस समय देय करों और उस पर भविष्य में लगाये जाने वाले करों का भुगतान क्रेता करेगा।

इस विलेख से उत्पन्न या इसके सम्बन्ध में या इसके विषय पर यदि कोई भी विवाद, मतभेद अथवा प्रश्न दोनों पक्षों या उसके दावेदार के बीच कभी उठ खड़ा हो तो वह निर्णय हेतु राज्य सरकार के आवास विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव को भेजा जायेगा और उनका

क्रेता के हस्ताक्षर

Mr. J. K. Nair

श्री. अली जुहाद नकवी स्वयं एवं
बहैसियत मुख्तारआम श्री मजहर
अब्बास नकवी, श्री अजहर अब्बास
नकवी श्रीमती निकहत जहरा नकवी
व कुं फरहत जहरा नकवी

विक्रेता

(सत्य नारायण श्रीवास्तव)

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

श्री. अली जुहाद नकवी

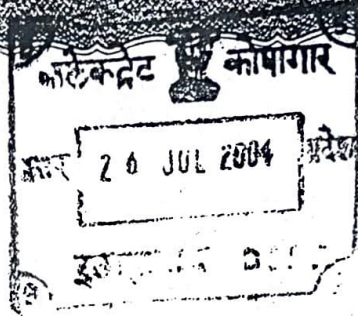
उनके द्वारा प्राधिकृत

नकला संख्या..... 682/18

सैयारी कर्ता लिखा.....

मिलान कर्ता लिखा.....

श्री. अली जुहाद नकवी



(10)

निर्णय अन्तिम होगा तथा इस विलेख के दोनों पक्ष उससे बाध्य होंगे।

यह फ्रीहोल्ड विलेख माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दायर रिट याचिका संख्या 32605/91, सत्य नारायण कपूर बनाम उत्तर प्रदेश सरकार आदि में पारित निर्णय दिनांक 15.10.1997 ई० के विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 1557-59/98 में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन निष्पादित की जा रही है।

इस विलेख के निष्पादन एवं पंजीयन के सम्बन्ध में जो कुछ भी व्यय होगा, क्रेता वहन करेगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विलेख में प्रयुक्त शब्द "विक्रेता" और "क्रेता" के

क्रेता के हस्ताक्षर

M. Subash Nayak

श्री अली जुहाद नकवी स्वयं एवं
बहेसियत मुख्तारआम श्री मजहर
अब्बास नकवी, श्री अजहर अब्बास
नकवी श्रीमती निकहत जहरा नकवी
व कु० फरहत जहरा नकवी

विक्रेता

(Signature)

(सत्य नारायण श्रीवास्तव)

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

(Signature)

उनके द्वारा प्राधिकृत

नकल संख्या.....

सैयारी कर्ता लिपिक.....

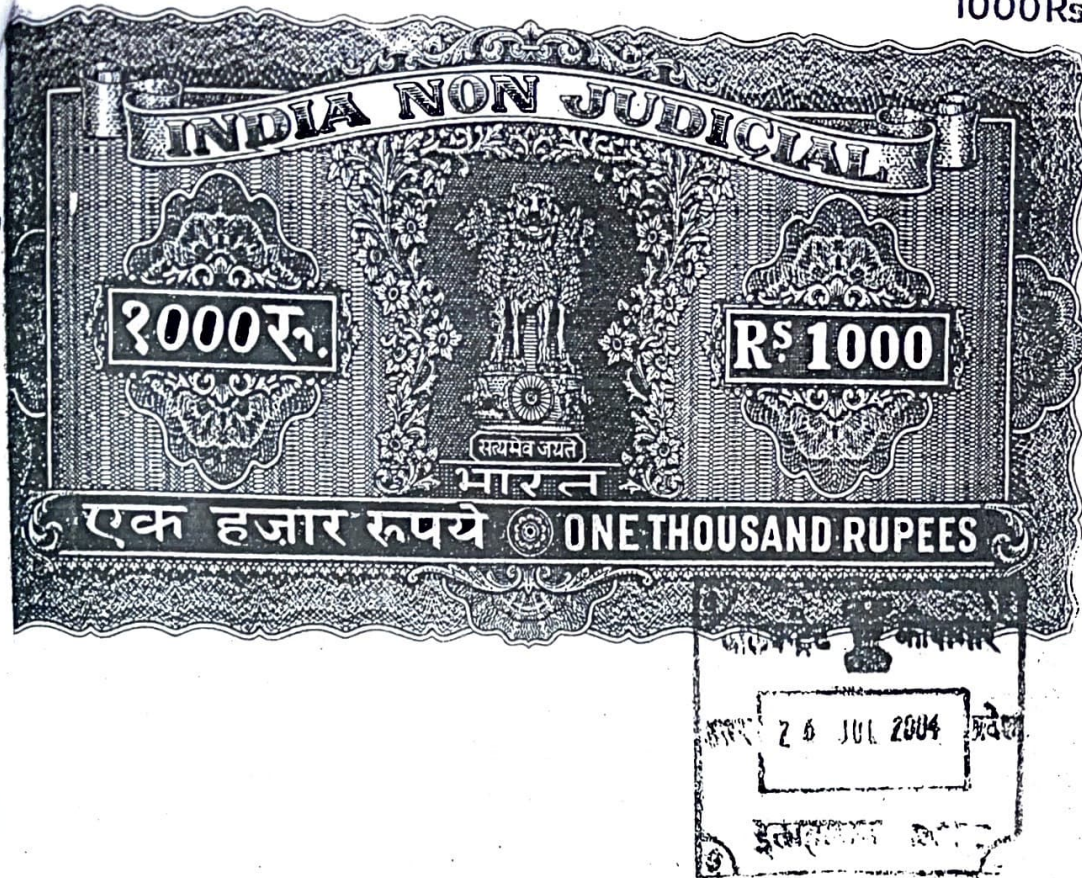
मिलान कर्ता लिपिक.....

सं० १०० प्र०

687/18

(Signature)

1000Rs



(11)

सम्बन्ध में, जब तक कि उनकी इस प्रकार की व्याख्या प्रसंगों से असंगत न हो, "विक्रेता" में उसके पद के उत्तराधिकारियों एवं समनुदेशितों का तथा "क्रेता" में उसके दाय्याधिकारियों, निष्पादकों, प्रबन्धकों, प्रतिनिधियों एवं समनुदेशितों का अन्तर्भाव है।

इस विलेख के साक्ष्य में क्रेता ने और विक्रेता की ओर से एवं उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी ने उन तिथियों को हस्ताक्षर कर दिये हैं जो उनके हस्ताक्षर के नीचे लिखी हैं। यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि श्री अली जुहाद नकवी ने स्वयं एवं अपने पुत्रों एवं पुत्रियों क्रमशः श्री मजहर अब्बास नकवी, श्री अजहर अब्बास नकवी श्रीमती निकहत ज़हरा नकवी व कु० फरहत ज़हरा नकवी के एटार्नी होल्डर जो कि उनके पक्ष में दिनांक 07.07.19993 को निष्पादित किया गया है और जो कि उपनिबन्धक, (चायल) इलाहाबाद के कार्यालय में प्रति

क्रेता के हस्ताक्षर

Mr. Ishaq Nari

श्री अली जुहाद नकवी स्वयं एवं
बहसियत मुख्तारआम श्री मजहर
अब्बास नकवी, श्री अजहर अब्बास
नकवी श्रीमती निकहत ज़हरा नकवी
व कु० फरहत ज़हरा नकवी

न ५५ १९९३ ज़हरा नकवी

विक्रेता

(सत्य नारायण श्रीवास्तव)

अपि ज़िलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत
उनके नाम पर लिखा

नकल दीया..... 68.2/18

तैयारी कर्ता लिपिक.....

मिलान कर्ता लिपिक.....

कु० नि० प्र० प्र० प्र० प्र०

1000Rs.



(12)

पुस्तक संख्या 4 खण्ड 48 के पृष्ठ संख्या 95 से 102 पर विलेख संख्या 862 के रूप में दिनांक 07.07.1993 को रजिस्टर्ड है, की हैसियत से हस्ताक्षर किया है।

इसमें अभिदिष्ट अनुसूची निम्नांकित है:-

नजूल भूखण्ड संख्या 26-A, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद क्षेत्रफल 4202.80 वर्गमीटर स्थित मौज़ा नसीबपुर बख्तियारा, जनपद - इलाहाबाद जो संलग्न नक्शे में लाल रंग से दिखाया गया है और जिसकी चौहद्दी निम्नलिखित है:-

पूरब- सरोजनी नायडू मार्ग ।

पश्चिम- चाला उसके बाद बंगला नम्बर 2, म्योर रोड।

क्रेता के हस्ताक्षर

Mr. Indranil Das

श्री अली जुहाद नकवी स्वयं एवं
वहैसियत मुख्तारआम श्री मजहर
अब्बास नकवी, श्री अजहर अब्बास
नरती श्रीमती निकहत जहरा नकवी
व कुं फरहत जहरा नकवी

विक्रेता

Dr.

(सत्य नारायण श्रीवास्तव)

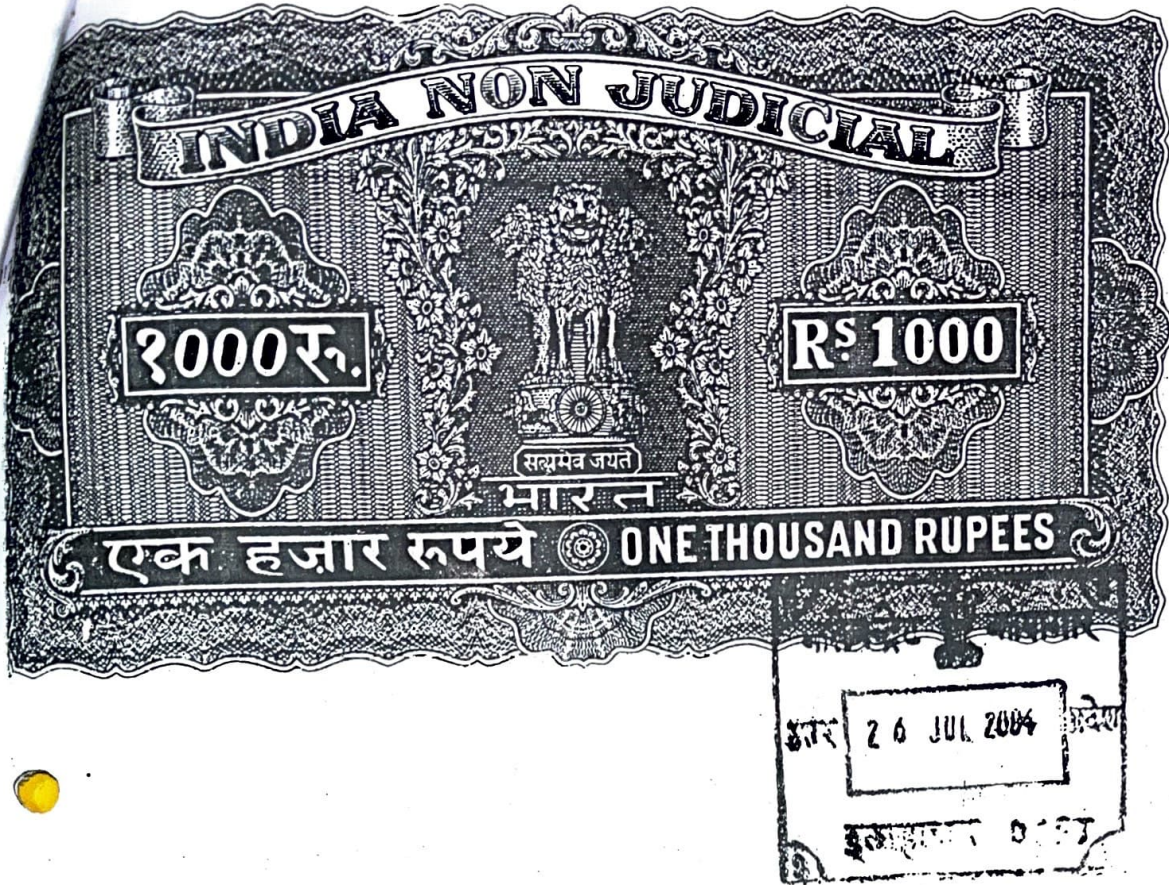
जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
उपस्थित 30 प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा मजिस्ट्रेट

नकल संख्या..... 687/18

तैयारी कर्ता लिपिक.....

मिलान कर्ता लिपिक.....

नोट - प्रमाण पत्र



(13)

उत्तर- म्योर रोड।

दक्षिण- नजूल भूखण्ड संख्या 26, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।

फ्रीहोल्ड के लिये क्रेता ने स्वमूल्यांकन की धनराशि रुपये 2,77,650/- (शब्दों में रुपये दो लाख सतहत्तर हजार छः सौपचास मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या R.K.11 दिनांक 28.01.1999 ई० द्वारा, तथा दिनांक 10.01.2001 ई० को निर्गत मांग पत्र की धनराशि रुपये 4,76,542/- (शब्दों में रुपये चार लाख छिहत्तर हजार पाँच सौ बयालिस मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या 17 दिनांक 10.02.2001 ई० द्वारा, तथा अतिरिक्त मांगपत्र की धनराशि रुपये 1,81,158/- (शब्दों में रुपये एक लाख इक्यासी हजार एक सौ अठ्ठावन मात्र) ट्रेजरी चालान संख्या 2 दिनांक 05.06.2003 ई० द्वारा, इस प्रकार सम्पूर्ण आंकलित निर्धारित मूल्य रुपये

क्रेता के हस्ताक्षर
Mr. Indran Nath

श्री अली जुहाद नकवी स्वयं एवं
बहैसियत मुख्तारआम श्री मजहर
अब्बास नकवी, श्री अजहर अब्बास
नकवी श्रीगती निकहत जहरा नकवी
व कु० फरहत जहरा नकवी

विक्रेता

(सत्य नारायण श्रीवास्तव)

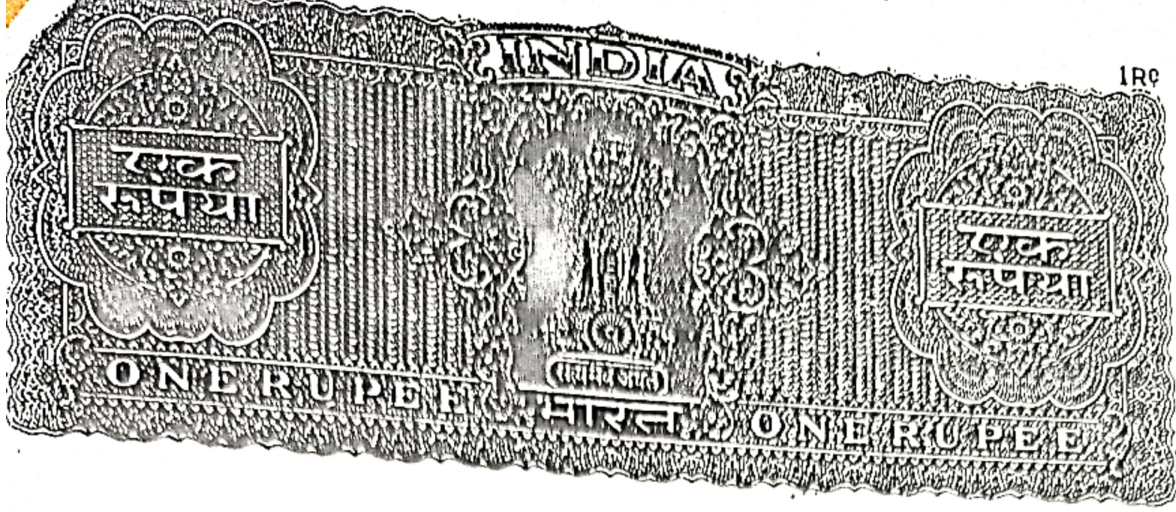
भूपन निवासी अधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
सत्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

नकल संख्या..... 682/18

तैयारी कर्ता लिपिक.....

विलान कर्ता लिपिक.....

कुल दिनांक.....



(14)

9,35,350/- (शब्दों में रुपये नौ लाख पैंतीस हजार तीन सौ पचास मात्र) जमा कर दिया है।

क्रेता के हस्ताक्षर

वाम ओं गुण विक्रेता

विक्रेता

Mr. Juhar Nar

23.11.2004

नाम- श्री अली जुहाद नकवी रयय एवं (मुक्तारआम) श्री मजहर
अब्बास नकवी, श्री अजहर अब्बास नकवी, श्रीमती निफहत
जहरा नकवी य कुं० फरहत जहरा नकवी गियारीगण 40,
सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद

(सत्य नारायण श्रीवास्तव)

अपर जिलाधिकारी, (नजूल) इलाहाबाद
राज्यपाल उ० प्र० की ओर से तथा
उनके द्वारा प्राधिकृत

1. साक्षी का हस्ताक्षर Ghaya-uadukha

पूरा नाम Ghaya-uadukha

पिता का नाम Riaz-u-din-kha

पता 94 Nalkhas lane

2. साक्षी का हस्ताक्षर A.I. Hapin

पूरा नाम ALI IRSHAD NARVI

पिता का नाम Lalram ALI AMBAD

पता 220 RANI MANDI ALD

1. साक्षी का हस्ताक्षर रामप्रसाद

नाम व पदनाम रामप्रसाद श्रीवास्तव
जिलाधिकारी, इलाहाबाद

1. साक्षी का हस्ताक्षर Burhan Ali

नाम व पदनाम Burhan Ali

जिलाधिकारी, इलाहाबाद
गोपाल, इलाहाबाद

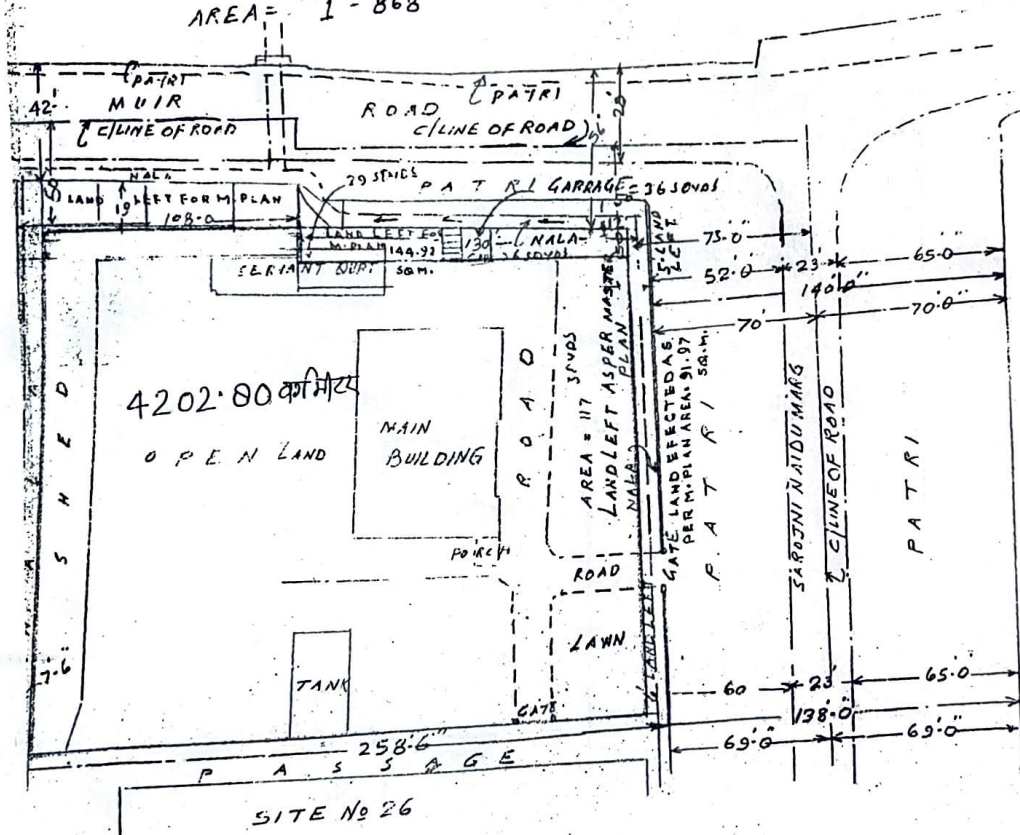
Mazun Khan

SITE PLAN OF SITE No 26/A
SAROJNI NAIDU MARG MAUZA NASIBPUR BAKHTIYARA
ALLAHABAD

TO BE FREE HOLD IN FAVOUR OF SRI ALI JUHAD NAQVI
KUMARI MAZHAR ABBAS NAQVI, KUMARI NIKHAT ZAHARA NAQVI
KUMARI FARHAT ZAHARA NAQVI, AZHAR ABBAS NAQVI

FREE HOLD AREA = 4202.80 SQ.MT. SHOWN IN RED LINE
SCALE:- 40 = 1"

AREA = $\frac{AC - 50 \text{ SQ.MT.}}{1} = 868$



NOTE:-

TOTAL AREA OF PLOT - - - - - AC - 50 YAS
 OR - 1 - 868
 OR - 5108.50 YAS
 OR - 4772.46 Smt

LAND DEFECTED AS PER MASTER PLAN

NALA AREA (WEST) - - - - - 427.52 SQ.MT. + 142.13 = 569.65 SQ.MT.

PLANNED FREE HOLD AREA - - - - - 4202.80 SQ.MT.

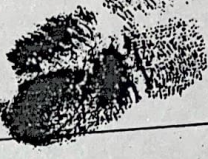
687/18
 विक्रेता
 23.11.2004
 लिपिक
 मध्य प्रदेश सरकार
 राज्यपाल उपाय की संर से
 तथा उनके द्वारा प्रोद्युक्त
 (सत्य गारायण योजना)
 धारक निम्न:-

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 को धारा 32ए के अन्तर्गत (Finger Prints) अंगुलियों के चिह्न क्रेता एवं विक्रेता

बाये हाथ

31.07.18

दाये हाथ

	कनिष्क	
	अनामिका	
	मध्यमा	
	तर्जनी	
	अंगुष्ठ	

10Rs.



बाये हाथ

687/18

दाये हाथ

	कनिष्क	
	अनामिका	
	मध्यमा	
	तर्जनी	
	अंगुष्ठ	

वेकास
जसप
का
ब त
1 और

सत्य प्रतीति प्रमाणित

08/02/19

सहायक न्यायाधीश

सहायक न्यायाधीश

135
25
10

16-12-02)
गण दि. 16-12-02)
खण्ड संख्या 4815
कय संख्या 12972

29/60
दिनांक 1
[Signature]
[Text]



Uttar Pradesh
16/12/02

16/12/02